

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय

मांग संख्या 61

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2022-2023			बजट 2023-2024			संशोधित 2023-2024			बजट 2024-2025		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	3998.48	25.65	4024.13	4661.16	30.84	4692.00	4410.92	38.84	4449.76	4303.71	38.84	4342.55
वसूलियां	-3.95	...	-3.95	...	...	...	...	...	...	...	...	...
प्राप्तियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>निवल</b>	<b>3994.53</b>	<b>25.65</b>	<b>4020.18</b>	<b>4661.16</b>	<b>30.84</b>	<b>4692.00</b>	<b>4410.92</b>	<b>38.84</b>	<b>4449.76</b>	<b>4303.71</b>	<b>38.84</b>	<b>4342.55</b>
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है:												
<b>केंद्र का व्यय</b>												
<b>केन्द्र का स्थापना व्यय</b>												
1. स्थापना व्यय												
1.01 सचिवालय	106.40	...	106.40	110.56	0.19	110.75	113.04	1.73	114.77	117.18	2.30	119.48
	-0.02	...	-0.02	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<i>निवल</i>	<i>106.38</i>	<i>...</i>	<i>106.38</i>	<i>110.56</i>	<i>0.19</i>	<i>110.75</i>	<i>113.04</i>	<i>1.73</i>	<i>114.77</i>	<i>117.18</i>	<i>2.30</i>	<i>119.48</i>
1.02 कला और संस्कृति	17.54	...	17.54	27.99	...	27.99	45.54	0.12	45.66	36.93	0.10	37.03
1.03 सूचना और प्रचार	445.47	...	445.47	391.87	4.89	396.76	379.34	11.23	390.57	399.22	10.68	409.90
	-2.66	...	-2.66	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<i>निवल</i>	<i>442.81</i>	<i>...</i>	<i>442.81</i>	<i>391.87</i>	<i>4.89</i>	<i>396.76</i>	<i>379.34</i>	<i>11.23</i>	<i>390.57</i>	<i>399.22</i>	<i>10.68</i>	<i>409.90</i>
<i>निवल</i>	<i>566.73</i>	<i>...</i>	<i>566.73</i>	<i>530.42</i>	<i>5.08</i>	<i>535.50</i>	<i>537.92</i>	<i>13.08</i>	<i>551.00</i>	<i>553.33</i>	<i>13.08</i>	<i>566.41</i>
<b>केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं</b>												
2. प्रसारण अवसंरचना नेटवर्क विकास	159.91	...	159.91	600.00	...	600.00	475.00	...	475.00	500.00	...	500.00
3. विकास संचार और फिल्मों में अंतर्निहित विषय का प्रसार	97.21	25.65	122.86	274.24	25.76	300.00	324.24	25.76	350.00	324.24	25.76	350.00
4. विकास संचार और सूचना संबंधी प्रसार	284.88	...	284.88	200.00	...	200.00	197.28	...	197.28	160.00	...	160.00
5. भारत में कम्यूनिटी रेडियो अभियान को सहायता	2.01	...	2.01	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00
<b>जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं</b>	<b>544.01</b>	<b>25.65</b>	<b>569.66</b>	<b>1079.24</b>	<b>25.76</b>	<b>1105.00</b>	<b>1001.52</b>	<b>25.76</b>	<b>1027.28</b>	<b>989.24</b>	<b>25.76</b>	<b>1015.00</b>
<b>केन्द्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय</b>												
<b>स्वायत्त निकाय</b>												
6. स्वायत्तशासी निकायों को सहायता												
6.01 प्रसार भारती	2710.82	...	2710.82	2808.36	...	2808.36	2644.02	...	2644.02	2509.94	...	2509.94

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2022-2023			बजट 2023-2024			संशोधित 2023-2024			बजट 2024-2025		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
	-1.27	...	-1.27	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<i>निवल</i>	2709.55	...	2709.55	2808.36	...	2808.36	2644.02	...	2644.02	2509.94	...	2509.94
6.02 भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान (एफटीआईआई), पुणे	68.53	...	68.53	64.75	...	64.75	73.47	...	73.47	87.11	...	87.11
6.03 सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट (एसआरएफटीआई) कोलकाता	60.10	...	60.10	95.13	...	95.13	82.97	...	82.97	81.45	...	81.45
6.04 बाल फिल्म सोसाइटी, भारत (सीएफएसआई)	2.11	...	2.11	...	...	...	...	...	...	...	...	...
6.05 भारतीय जनसंचार संस्थान	29.21	...	29.21	44.67	...	44.67	37.00	...	37.00	44.00	...	44.00
6.06 भारतीय प्रेस परिषद	6.07	...	6.07	18.21	...	18.21	10.64	...	10.64	15.64	...	15.64
<i>जोड़- स्वायत्तशासी निकायों को सहायता</i>	2875.57	...	2875.57	3031.12	...	3031.12	2848.10	...	2848.10	2738.14	...	2738.14
<b>सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम</b>												
7. राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (एनएफडीसी)	8.22	...	8.22	20.38	...	20.38	23.38	...	23.38	23.00	...	23.00
<b>जोड़-केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय</b>	<b>2883.79</b>	...	<b>2883.79</b>	<b>3051.50</b>	...	<b>3051.50</b>	<b>2871.48</b>	...	<b>2871.48</b>	<b>2761.14</b>	...	<b>2761.14</b>
<b>कुल जोड़</b>	<b>3994.53</b>	<b>25.65</b>	<b>4020.18</b>	<b>4661.16</b>	<b>30.84</b>	<b>4692.00</b>	<b>4410.92</b>	<b>38.84</b>	<b>4449.76</b>	<b>4303.71</b>	<b>38.84</b>	<b>4342.55</b>
<b>ख. विकास शीर्ष</b>												
<b>सामाजिक सेवाएं</b>												
1. कला और संस्कृति	17.54	...	17.54	27.99	...	27.99	45.54	...	45.54	36.93	...	36.93
2. सूचना और प्रचार	1001.15	...	1001.15	1063.75	...	1063.75	1078.09	...	1078.09	1088.16	...	1088.16
3. प्रसारण	2869.46	...	2869.46	3348.36	...	3348.36	3071.52	...	3071.52	2959.94	...	2959.94
4. सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	106.38	...	106.38	110.56	...	110.56	113.04	...	113.04	117.18	...	117.18
5. सूचना और प्रचार पर पूंजीगत परिव्यय	...	25.65	25.65	...	30.84	30.84	...	38.84	38.84	...	38.84	38.84
<b>जोड़-सामाजिक सेवाएं</b>	<b>3994.53</b>	<b>25.65</b>	<b>4020.18</b>	<b>4550.66</b>	<b>30.84</b>	<b>4581.50</b>	<b>4308.19</b>	<b>38.84</b>	<b>4347.03</b>	<b>4202.21</b>	<b>38.84</b>	<b>4241.05</b>
<b>अन्य</b>												
6. पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	...	...	110.50	...	110.50	102.73	...	102.73	101.50	...	101.50
<b>जोड़-अन्य</b>	...	...	...	<b>110.50</b>	...	<b>110.50</b>	<b>102.73</b>	...	<b>102.73</b>	<b>101.50</b>	...	<b>101.50</b>
<b>कुल जोड़</b>	<b>3994.53</b>	<b>25.65</b>	<b>4020.18</b>	<b>4661.16</b>	<b>30.84</b>	<b>4692.00</b>	<b>4410.92</b>	<b>38.84</b>	<b>4449.76</b>	<b>4303.71</b>	<b>38.84</b>	<b>4342.55</b>

(₹ करोड़)

	बजट सहायता			आं. ब. बा. सं.			जोड़			बजट सहायता			आं. ब. बा. सं.			जोड़		
	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़			
<b>ग. सार्वजनिक उद्यम में निवेश</b>																		

	बजट सहायता			बजट सहायता			बजट सहायता			बजट सहायता		
	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	
1. ब्रॉडकास्टिंग इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड	...	...	...	...	196.34	196.34	...	...	...	...	...	
2. राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम	8.22	5.01	13.23	20.38	159.90	180.28	23.38	22.48	45.86	23.00	9.28	32.28
<b>जोड़</b>	<b>8.22</b>	<b>5.01</b>	<b>13.23</b>	<b>20.38</b>	<b>356.24</b>	<b>376.62</b>	<b>23.38</b>	<b>22.48</b>	<b>45.86</b>	<b>23.00</b>	<b>9.28</b>	<b>32.28</b>

(₹ करोड़)

1.01. **सचिवालय:** इसके अंतर्गत मुख्य सचिवालय तथा प्रधान लेखा कार्यालय के लिए स्थापना व्यय को शामिल किया जाता है।

1.02. **कला और संस्कृति:** इस प्रावधान के अंतर्गत केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) से संबंधित व्यय को शामिल किया जाता है।

1.03. **सूचना और प्रचार:** इसके अंतर्गत इस मंत्रालय के निम्नलिखित मीडिया यूनिटों और सचिवालय पर किए जाने वाले स्थापना संबंधी व्यय को शामिल किया जाता है:-

(i) केंद्रीय संचार ब्यूरो (पूर्ववर्ती लोक संपर्क और संचार ब्यूरो) – इसमें निम्नलिखित कार्यकलापों अर्थात् विज्ञापन एवं अन्य मुद्रित सामग्रियों के साथ-साथ रेडियो, टेलीविजन, प्रदर्शनियों एवं अन्य बाह्य प्रचार मीडिया के माध्यम से प्रचार अभियान, फिल्म शो, लाइव मनोरंजन कार्यक्रम, फोटो प्रदर्शनियों तथा सेमिनारों तथा लाइव मीडिया कार्यक्रमों के माध्यम से इंटरपर्सनल और विकासात्मक संचार शामिल हैं ताकि विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों सहित आम जनता में जागरूकता पैदा की जा सके।

(ii) पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) - यह सरकार और प्रेस के बीच एक लिंक के रूप में कार्य करता है तथा सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की प्रचार तथा जन संपर्क संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ-साथ भारत के माननीय प्रधानमंत्री और माननीय उप राष्ट्रपति के दैनिक आयोजनों की आधिकारिक फोटो कवरेज करता है। यह भारत सरकार की ओर से आंतरिक तथा बाह्य प्रचार हेतु विजुअल प्रलेखन तथा फोटोग्राफों को तैयार करने के लिए भी उत्तरदायी है।

(iii) प्रकाशन प्रभाग - यह मंत्रालय के प्रकाशन प्रभाग के व्यय के लिए प्रावधान करता है जो अंग्रेजी, हिंदी तथा क्षेत्रीय भाषाओं में विविध विषयों पर सशुल्क पुस्तकों, पत्रिकाओं और अन्य मुद्रित सामग्री का प्रकाशन करता है। प्रकाशन प्रभाग अंग्रेजी, हिंदी तथा उर्दू में साप्ताहिक 'इम्प्लायमेंट न्यूज़/रोजगार समाचार' का भी प्रकाशन करता है।

(iv) न्यू मीडिया विंग – यह मंत्रालय और उसकी मीडिया यूनिटों, विदेशों में भारतीय मिशनों तथा समाचार पत्रों एवं मीडिया एजेंसियों के लिए सहायता प्रदान करने हेतु मीडिया के हित से जुड़े विषयों पर मूलभूत सूचना एकत्र एवं संकलित करता है। यह प्रावधान इस कार्य के निष्पादन के लिए है।

(v) भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक का कार्यालय (आरएनआई) – यह समाचारपत्रों/ पत्रिकाओं के लिए शीर्षकों के सांख्यिकीय रिकॉर्डों का रखरखाव करने/उनका सत्यापन करने का कार्य करता है। यह समाचारपत्रों/पत्रिकाओं के संबंध में पंजीकरण प्रमाणपत्र भी जारी करता है। यह प्रावधान इन कार्यकलापों के निष्पादन के लिए है।

(vi) सचिवालय: इसमें संचार के विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम (आईपीडीसी) के लिए अंशदान, एशियाई प्रसारण विकास संस्थान (एआईवीडी) के लिए अंशदान, एनएफएआई द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार संगठनों की सदस्यता का अंशदान तथा प्राइवेट एफएम रेडियो स्टेशन संबंधी प्रावधान भी शामिल हैं।

(vii) इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर (ईएमएमसी)- ईएमएमसी संबंधित संहिताओं के अनुसार कार्यक्रम और विज्ञापनों की निगरानी करता है। यह प्रावधान संहिता के उल्लंघन के संदर्भ में टेलीविजन चैनलों/रेडियो की निगरानी के लिए है।

2. **प्रसारण अवसरचना नेटवर्क विकास:** इसे प्रसार भारती के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है। स्कीम का उद्देश्य आकाशवाणी नेटवर्क का डिजिटलीकरण और एफएमीकरण, अधिक चैनलों को समायोजित करने के लिए डीटीएच प्लेटफॉर्म की क्षमता का उन्नयन और दर्शकों के अनुभव को समृद्ध करना आदि है।

3. **विकास संचार और फिल्मों में अंतर्निहित विषय का प्रसार:** यह फिल्म समारोहों, नई फिल्मों और वृत्तचित्रों के निर्माण के माध्यम से भारतीय सिनेमा के प्रचार और संरक्षण के लिए है और यह भारतीय सिनेमा को अपना काम प्रदर्शित करने के लिए एक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच प्रदान करता है।

4. **विकास संचार और सूचना संबंधी प्रसार:** इसका उद्देश्य सरकार की विभिन्न स्कीमों और कार्यक्रमों के बारे में नागरिकों में जागरूकता पैदा करना है ताकि लक्षित लाभार्थियों को विकासात्मक स्कीमों का लाभ उठाने में सक्षम बनाया जा सके और विकास की प्रक्रिया में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की जा सके।

5. **भारत में कम्प्यूटरी रेडियो अभियान को सहायता:** इसका उद्देश्य सामुदायिक रेडियो अभियान को सहायता प्रदान करना है जो विशेषकर ऐसे समुदायों, जो न पढ़ सकते हैं न लिख सकते हैं, के लिए एक संचार का आवश्यक माध्यम है।

- 6.01. **प्रसार भारती:** इसमें प्रसार भारती में धारित प्रतिनियुक्ति पर सरकारी कर्मचारियों के वेतन और अवकाश वेतन तथा पेंशन अंशदान शामिल हैं।
- 6.02. **भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान (एफटीआईआई), पुणे:** इसमें अब वित्तीय वर्ष 2020-21 से एफटीआईआई के उन्नयन और आधुनिकीकरण के लिए एफटीआईआई (पुणे) को सहायता-अनुदान के तहत पूर्ववर्ती स्कीम आवंटन शामिल हैं।
- 6.03. **सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट (एसआरएफटीआई) कोलकाता:** इसमें अब वित्तीय वर्ष 2020-21 से एसआरएफटीआई (कोलकाता) में अवसंरचना विकास के तहत पूर्ववर्ती स्कीम आवंटन शामिल है।
- 6.04. **बाल फिल्म सोसाइटी, भारत (सीएफएसआई):** केंद्र सरकार के दिनांक 01.01.2023 के निर्णय के अनुसार अब इस संगठन का भारतीय फिल्म विकास निगम में विलय कर दिया गया है। इसलिए यह प्रविष्टि वित्त वर्ष 2023-24 से अप्रचलित हो जाएगी।
- 6.05. **भारतीय जनसंचार संस्थान:** इसमें अब वित्तीय वर्ष 2020-21 से (i) अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप आईआईएमसी का उन्नयन , (ii) आईआईएमसी के नए क्षेत्रीय केंद्रों को खोलना और (iii) राष्ट्रीय एनिमेशन, गेमिंग और विशेष प्रभाव उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना करना के तहत पूर्ववर्ती स्कीम आवंटन शामिल हैं।
- 6.06. **भारतीय प्रेस परिषद:** इसमें भारतीय प्रेस परिषद (पीसीआई) के गैर-स्कीम व्यय शामिल हैं।
7. **राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (एनएफडीसी):** इसमें राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (एनएफडीसी) के गैर-स्कीम व्यय शामिल हैं।